

झारखण्ड सरकार
नगर विकास वं आवास विभाग

आवंटनादेश

OSP/TSP
नागरिक सुविधा

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
देवघर नगर निगम/
बासुकीनाथ नगर पंचायत।

राँची, दिनांक-15/07/26

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में नागरिक सुविधा मद अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-191-नगर निगमों को सहायता-उपशीर्ष-34-शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान-01-शहरी स्थानीय निकायों में नागरिक सुविधायें, पथ प्रकाश, सामुदायिक/विवाह भवन, पार्क, शवदाह गृह का निर्माण-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) अन्तर्गत देवघर नगर निगम को श्रावणी मेला-2026 के सफल आयोजन हेतु OSP प्रक्षेत्र से कुल रु० 5,00,00,000/- रुपये (पाँच करोड़ रुपये) तथा बासुकीनाथ नगर पंचायत को TSP प्रक्षेत्र से कुल रु० 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मात्र अर्थात् कुल 6,00,00,000/- रुपये (छः करोड़ रुपये) आवंटन के संबंध में।

आदेश: उपर्युक्त व्यय शीर्ष अन्तर्गत प्राप्त मांग पत्र के आलोक में उल्लेखित निकाय के सामने कॉलम-vi में अंकित राशि आवंटित की जाती है:-

क्र०	निकाय का नाम	स्वीकृत राशि	स्वीकृत्यादेश सं. / तिथि	अब तक आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 25-26 में वर्तमान में आवंटन	कोषागार/ उप०को० का नाम
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1.	देवघर नगर निगम	5,00,00,000	40/10-07-2026	शून्य	5,00,00,000	देवघर
2.	बासुकीनाथ नगर पंचायत	1,00,00,000	41/10-07-2026	शून्य	1,00,00,000	दुमका
कुल राशि					6,00,00,000/-	

कुल आवंटित राशि 6,00,00,000/- रुपये (छः करोड़ रुपये)।

2. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी:-

क्र.सं.	प्रक्षेत्र	बजट शीर्ष	राशि
i	TSP	मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-191- नगर निगमों को सहायता-उपशीर्ष-34-शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान-01-शहरी स्थानीय निकायों में नागरिक सुविधायें, पथ प्रकाश, सामुदायिक/विवाह भवन, पार्क, शवदाह गृह का निर्माण-विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड-48-S-2217-80-191-34-01-06-79	5,00,00,000
ii	OSP	मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-34-शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान-01-शहरी स्थानीय निकायों में नागरिक सुविधायें, पथ प्रकाश, सामुदायिक/विवाह भवन, पार्क, शवदाह गृह का निर्माण-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान- 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड-48-S-2217-80-796-34-01-06-79	1,00,00,000
कुल राशि			6,00,00,000/-

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कंडिका-1 की सारणी के स्तम्भ-vii में अंकित कोषागारों से की जायेगी।

4. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष (2024-2025) में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:-

क्रं.	निकाय का नाम	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि
i	ii	iii	iv	v
i	देवघर नगर निगम	31/30-05-2024	30000000	30000000
		44/10-06-2024	3219750	3219750
		46/10-06-2024	20204336	20204336
		141/07-10-2024	20204336	20204336
		142/07-10-2024	3219752	3219752
		244/05-03-2025	30000000	30000000
		289/27-03-2025	8659948	8659948
		289/27-03-2025	1731990	1731990
ii	बासुकीनाथ नगर पंचायत	44/10-06-2024	644400	644400
		32/10-06-2024	10000000	10000000
		45/10-06-2024	7644893	7644893
		140/07-10-2024	7644893	7644893
		141/07-10-2024	644400	644400
		224/05-02-2025	5010500	5010500
		280/21-03-2025	7400050	7400050
		279/27-03-2025	10459035	10459035

5. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 की कंडिका-5 (iii) के आलोक में, स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जागा।

7. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच प्रडताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०-2561/दिनांक-17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं व समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

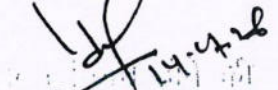
9. इस राशि से योजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

11. संबंधित निकाय के प्रशासी पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि के Online आवंटन निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर राशि की निकासी करते हुए, स्वीकृत राशि से चयनित योजनाओं का कार्यान्वयन प्रतिवेदन विभाग को प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 (कंडिका-5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन



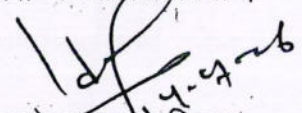
(सुनील कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापक: 5/न०वि०/ना०सु०-07/2016,- 36

राँची, दिनांक- 15/07/26

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिवप्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान। आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/नोडल पदाधिकारी, e-Procurement Cell/श्री निर्मल कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/श्री उत्कर्ष कुमार, मैनेजर आई.टी. को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास व आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव।

358

A

Handwritten text, mostly illegible due to blurring and noise. It appears to be a list or a series of notes.

Handwritten mark or symbol, possibly a stylized letter or a small drawing.

Handwritten mark or symbol, possibly a stylized letter or a small drawing.